भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3744
बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सोलर पैनल को अनिवार्य रूप से लगाना</u>

3744. श्री एस. जगतरक्षकनः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में कारखानों, भवनों और मकानों को विद्युत उत्पादन अथवा रासायनिक परिवर्तन और आवागमन की आवश्यकताओं के लिए प्रथम विकल्प और प्राथमिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं जिससे लागत संरचना आज की तुलना में मूलभूत रूप से कम हो जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जो ईवी चार्जिंग सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए, देश भर में फैक्टरियों, भवनों और घरों द्वारा उपयोग के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली के उत्पादन को सुविधाजनक बनाते हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'सोलर पैनल को अनिवार्य रूप से लगाना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3744 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सौर ऊर्जा से बिजली के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए चल रही प्रमुख सौर ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य से सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।

2. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।

3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।

4. छोटे ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों, स्टैंड-अलोन सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंततः पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।

5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से, व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।

6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी): अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली तैयार करने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से कुल 10 राज्यों में विद्युत की निकासी के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है (जीईसी के दोनों चरणों पर विचार करते हुए)।

   (i) इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-I
   (ii) इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-II

*****